

**बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग**

का0आ0सं0:- भवन/स्था0-02-विविध-47/2023 (खंड).....153.....पटना, दिनांक- 5/6/20

**कार्यालय आदेश**

वित्त विभाग के संकल्प सं0-8043 दिनांक-11.10.2017 एवं संकल्प सं0-1172 दिनांक-15.02.2018 के कंडिका-A(ii)(iii) एवं (iv) में निहित प्रावधानों के आलोक में भवन निर्माण विभाग में पदस्थापित निम्नांकित सहायक अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से कॉलम-5 में अंकित वेतन स्तर के अनुसार अनुमान्य शहरी परिवहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र0 सं0 | नाम/पदनाम/ वेतन स्तर                                                                                               | प्रभार ग्रहण की तिथि    | शहरी परिवहन भत्ता के प्रभावी होने की तिथि | वेतन स्तर/ अनुमान्य शहरी परिवहन भत्ता  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                  | 3                       | 4                                         | 5                                      |
| 1        | श्री अजय कुमार, सहायक अभियंता, अवर प्रमं0सं0-01, संरचना प्रमंडल सं0-01, पटना                                       | 04.07.2025 के पूर्वाह्न | 04.07.2025                                | वेतन स्तर-9<br>₹3,000/- + मँहगाई भत्ता |
| 2        | सुश्री मनीषा प्रिया, सहायक अभियंता, अवर प्रमं0सं0-02, संरचना प्रमंडल सं0-01                                        | 04.07.2025 के पूर्वाह्न | 04.07.2025                                | वेतन स्तर-9<br>₹3,000/- + मँहगाई भत्ता |
| 3        | श्री अनिल कुमार, नवप्रोन्नत सहा0अभि0, दक्षिण बिहार अंचल                                                            | 28.01.2026 के अपराह्न   | 29.01.2026                                | वेतन स्तर-9<br>₹3,000/- + मँहगाई भत्ता |
| 4        | सुश्री हर्षिता सिंह, सहायक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना प्रतिनियुक्ति अवर प्रमंडल सं0-09, संरचना प्रमंडल सं0-03 | 06.10.2025 के पूर्वाह्न | 06.10.2025                                | वेतन स्तर-9<br>₹3,000/- + मँहगाई भत्ता |
| 5        | इब्रार आलम, नवप्रोन्नत सहा0अभि0, भवन अवर प्रमं0, दानापुर                                                           | 28.01.2026 के अपराह्न   | 29.01.2026                                | वेतन स्तर-9<br>₹3,000/- + मँहगाई भत्ता |
| 6        | सुश्री नित्य प्रभा, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (द0) का कार्यालय                                                  | 01.07.2025 के पूर्वाह्न | 01.07.2025                                | वेतन स्तर-9<br>₹3,000/- + मँहगाई भत्ता |
| 7        | श्री विष्णु प्रसाद, सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण दक्षिण बिहार अंचल                                                   | 15.04.2025 के पूर्वाह्न | 15.04.2025                                | वेतन स्तर-9<br>₹3,000/- + मँहगाई भत्ता |
| 8        | श्री पवन कुमार, प्राक्कलन पदाधिकारी, अग्रिम योजना अंचल                                                             | 02.02.2026 के पूर्वाह्न | 02.02.2026                                | वेतन स्तर-9<br>₹3,000/- + मँहगाई भत्ता |

2. यह भत्ता अवकाश, प्रशिक्षण, भ्रमण आदि कारण लगातार 30 दिनों से अधिक अवधि तक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में अनुमान्य नहीं होगा।

3. यदि यह पाया गया कि उक्त पदाधिकारी को गलत परिवहन भत्ता का भुगतान किया गया है तो उसकी वसूली उनके वेतन से एकमुश्त कर ली जायेगी।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(ललित कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

कृ०पृ०उ०.....

ज्ञापांक:-

5035 (4)

पटना, दिनांक- 5/6/26

प्रतिलिपि:- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/सभी संबंधित पदाधिकारी एवं आईटी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.06.26

सरकार के उप सचिव।